रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262728
CG-DL-E-28042025-262728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/ वैशाख 8, 1947
No. 224] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 263(अ).— महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; एतदद्वारा, डाकघर विनियम, 2024 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये 1 मई, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 में, -

(i) विनियम 92 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“92 क. *ज्ञान पोस्ट* – (1) कोई पुस्तक या पुस्तकों वाला पैकेट, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित पुस्तकें हों, को उप विनियम (2) में उल्लिखित निबंधनों के अधीन “ज्ञान पोस्ट” मद के रूप में पारेषित किया जा सकता है :

(क) जो पत्राचार और नियमित पाठ्यक्रम में छात्रों हेतु, निम्न द्वारा विहित हों :

(i) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक बोर्ड, विश्वविद्यालय;

(ii) सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय और सांविधिक निकाय

(ख) देश के सुसंगत विधि के अनुसार जारी या प्रकाशित सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप से संबंधित साहित्य;

(ग) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकें

स्पष्टीकरण - (1) “पुस्तक” में किसी भी भाषा में प्रकाशित प्रत्येक खंड, खंड का भाग या हिस्सा तथा अलग से मुद्रित संगीत, मानचित्र, चार्ट या योजना का प्रत्येक पृष्ठ शामिल है और यह पूरी तरह या अधिकांशतः पठन सामग्री, पेंटिंग, फोटोग्राफ, चित्र या इस प्रकार की अन्य सामग्री हो सकती है, जिसमें छात्रों द्वारा नोट करने के लिए रिक्त स्थान दिया गया हो अथवा नहीं।

(2) सरकार से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है।

(2) कोई पुस्तक या पुस्तकों वाले पैकेट को निम्नलिखित के अधीन, “ज्ञान पोस्ट” के अंतर्गत पारेषित किया जाएगा :

(क) इनमें नियमित अंतराल पर प्रकाशित कोई प्रकाशन नहीं होना चाहिए;

दृष्टांत - नियमित समय अंतराल जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वि-मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक इत्यादि पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, जर्नल या इसी प्रकार का कोई अन्य प्रकाशन।

(ख) पुस्तकों वाले ऐसे पैकेट के ऊपर “ज्ञान पोस्ट” अंकित होना चाहिए।

(ग) पुस्तकों में ‘आनुषंगिक घोषणाओं’ अथवा ‘पुस्तकों की सूची’ के अलावा कोई भी विज्ञापन नहीं होगा;

(घ) ऐसे पैकेट में रखी गई प्रत्येक पुस्तक पर मुद्रक अथवा प्रकाशक का नाम अंकित होगा;

(ड.) इस उत्पाद के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक स्वरूप की पुस्तक नहीं भेजी जाएगी;

(च) ऐसे पैकेट में किसी भी पुस्तक पर प्रिंटिंग अथवा मैन्यूस्क्रिपशन (हस्तलिपि) के अलावा किसी भी अन्य रीति से पुनरुत्पादित वर्ण या लेख विद्यमान नहीं होंगे;

परंतु यह कि इस प्रकार के किसी भी प्रकाशन में प्रेषिती का नाम, तारीख, प्रेषक अथवा स्वामी का नाम और पता या सम्मानसूचक अथवा भेंट स्वरूप दर्शाते आद्याक्षर हो सकते हैं; जो

(छ) ऐसे पैकेट में निहित, किसी भी प्रकाशन में कोई भी मूल्य सूची या बिल अथवा पुस्तकों की ‘आपूर्ति संबंधी आदेश’ नहीं होगा;

परंतु यह कि उस पैकेट में भेजे जाने वाले प्रकाशन से संबंधित इनवॉइस या बिल अथवा दोनों हो सकते हैं।

(3) "ज्ञान पोस्ट" के अंतर्गत बुक की गई वस्तुओं को ‘ट्रैक करने योग्य वस्तु’ के रूप में प्रेषित किया जाएगा। ‘ज्ञान पोस्ट’ श्रेणी के अंतर्गत कोई भी वस्तु ‘ट्रैक नहीं की जा सकने वाली’ या ‘साधारण वस्तु’ के रूप में प्रेषित नहीं की जाएगी।

(4) ज्ञान पोस्ट के रूप में भेजी गई वस्तु विनिर्दिष्ट पते पर होगी।

(5) इस श्रेणी के अंतर्गत बुक किए गए पैकेटों को सड़क मार्ग से प्रेषित किया जाएगा।

(6) प्रेषक, लागू शुल्क या प्रभारों का भुगतान कर, रजिस्ट्रीकरण, डिलीवरी का प्रमाण और बीमा संबंधी मूल्यवर्धित सेवा का लाभ ले सकते हैं।

(7) उक्त वस्तु पर डिलिवरी पता और प्रेषक का वापसी पता अंकित होना चाहिए तथा यह, डाकघर के अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा जांच के अध्यधीन होगी।

(8) ऐसी जांच पर, ज्ञान पोस्ट उत्पाद के अधीन प्रक्रिया किए जाने के लिए अपात्र सामग्री अथवा ऊपर (क) से (ज) तक में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के मामले में, इस उत्पाद के अधीन भेजे गए पैकेट को भारतीय डाक पार्सल - रिटेल उत्पाद के माध्यम से प्रेषित डाक-वस्तु माना जाएगा और ऐसे पैकेट पर पहले से ही भुगतान किए गए डाक महसूल तथा ‘भारतीय डाक पार्सल - रिटेल उत्पाद डाक-वस्तु’ के लिए देय डाक महसूल की दर के बीच के अंतर की दोगुना राशि डिलिवरी के समय प्रभारित की जाएगी।

(9) "ज्ञान पोस्ट" के अंतर्गत पैकेट बुक किए जाने के लिए न्यूनतम वजन सीमा तीन सौ ग्राम होगी और इस उत्पाद के अंतर्गत बुक किए जाने वाले पैकेट की अधिकतम वजन सीमा पांच किलोग्राम होगी।

(10) ज्ञान पोस्ट के अधीन डाक-वस्तुओं की पोस्टिंग, बुकिंग, पारेषण और डिलिवरी संबंधी प्रचालनगत शर्तें, समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार होंगी।

(11) "ज्ञान पोस्ट" के अंतर्गत भेजी जाने वाली डाक-वस्तुओं पर प्रभार्य डाक महसूल की दरें, अनुसूची I की सारणी X में उल्लेखानुसार होंगी।"

(ii) अनुसूची I में, शीर्षक "घरेलू डाक-वस्तुओं के लिए डाक महसूल और शुल्क" के नीचे, 92(3) के पश्चात्, निम्नलिखित आंकड़े और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"92क.";

(iii) अनुसूची I में, सारणी IX के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

ज्ञान पोस्ट वस्तु के लिए डाक-महसूल की दर (लागू करों को छोड़कर)	
वस्तु का वजन	डाक-महसूल की दर (रु. में)
300 ग्राम तक	20
301 से 500 ग्रा. के बीच	25
501 से 1000 ग्रा. के बीच	35
1001 से 2000 ग्रा. के बीच	50
2001 से 3000 ग्रा. के बीच	65
3001 से 4000 ग्रा. के बीच	80
4001 से 5000 ग्रा. के बीच	100

[फा. सं. 27-06/2024-पीओ]

विवेक कुमार दक्ष, उप महानिदेशक

टिप्पण :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में 16 दिसंबर, 2024 के का.आ. 5440 (अ.) के तहत प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण के माध्यम से 28 मार्च, 2025 के का.आ. 1523 (अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025.

G.S.R. 263(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Post Office Regulations, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Post Office (Second Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force from 1st May 2025.

2. In the Post Office Regulations, 2024,-

(i) after regulation 92, the following regulation shall be inserted, namely:-

"92 A. *GYAN POST*.- (1) A book or packet containing the books related with the following, may be transmitted as a "Gyan Post" item, subject to the conditions mentioned in sub regulations (2)**:**

(a) prescribed in syllabus for correspondence and regular courses for students by:
   (i) recognized boards of education, universities of the Government;
   (ii) autonomous bodies and statutory bodies under the Government

(b) containing the literature related with social, cultural and religious nature issued or published in accordance with relevant law of the land;

(c) text book used by aspirants of various competitive examinations

Explanation.- (1) **"**Book" includes every volume, part or division of a volume, in any language and every sheet of music, map, chart or plan separately printed and consists wholly or substantially of reading matter, paintings, photographs, diagrams or any other similar matter, with or without blank spaces, for notations by students.

(2) Government means Central Government, State Government or Government of the Union Territories.

(2) A Book or packet containing the books shall be transmitted under the "Gyan Post" subject to the following:

(a) They shall not contain any publication, published at regular intervals;

Illustration- Magazines, journal or similar publication issued at a regular interval of time – weekly, fortnightly, monthly, bi-monthly, quarterly, half yearly and so- on.

(b) Such packet containing the books shall bear on the outside the inscription "Gyan Post";

(c) Books shall not contain any advertisements other than incidental announcements or list of books;

(d) Each book in such packet shall contain the name of the printer or publisher;

(e) No book of business or commercial in nature, shall be sent through this product;

(f) No book in such packet shall bear any character or inscription reproduced by any means other than printing or manuscription:

Provided that any such publication may contain in writing the name of the person to whom it is sent or presented, the date, the name and address of the sender or owner or initials of a complimentary nature or signifying presentation.

(g) No publication in such packet shall contain any price list or bills or orders for supply of the books:

Provided that the packet may contain an invoice or a bill or both pertaining to publication being sent in that packet.

(3) The items booked under "Gyan Post" shall be transmitted as trackable item. No item under Gyan Post category shall be transmitted as untracked or ordinary item.

(4) The item posted as Gyan Post shall be address specific.

(5) The packets booked under this category, shall be transmitted through surface mode.

(6) The value-added service of registration, proof of delivery and insurance, may be availed by the sender on payment of applicable fees or charges.

(7) The said item must have a delivery address and the sender's return address and are subject to inspection by the post office officers and officials.

(8) Upon such inspection, matter not eligible for the processing under the Gyan Post product or in case of infringement of the conditions mentioned in (a) to (g) above, the packet sent under this product, shall be treated as an item posted through India Post Parcel - Retail product and charged on delivery with double the deficiency between the postage already paid for such packet and the postage payable for an India Post Parcel - Retail product item.

(9) The minimum weight for booking packet under "Gyan Post" shall be three hundred gms. and the maximum weight for which packet under this product may be booked, shall be five kg.

(10) The operational conditions for posting, booking, transmission and delivery of items under Gyan Post, shall be, as specified by administrative instructions from time to time

(11) The rates of postage chargeable on items, posted under "Gyan Post" shall be as mentioned in Table X of Schedule I.";

(ii) in the SCHEDULE I, below the heading "POSTAGE AND FEE FOR DOMESTIC ITEMS", after the figures 92(3), the following figures and letter shall be inserted, namely:-

"92A**.";**

(iii) in the SCHEDULE I, after Table IX, the following Table shall be inserted, namely:-

Table

The rate for postage of Gyan post item (exclusive of applicable taxes)	
Weight of item	Rate of postage (in Rs.)
Upto 300 grams	20
Between 301 to 500 gms	25
Between 501 to 1000 gms	35
Between 1001 to 2000 gms	50
Between 2001 to 3000 gms	65
Between 3001 to 4000 gms	80
Between 4001 to 5000 gms	100

[F. No. 27-06/2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Deputy Director General.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 5440(E), dated 16th December, 2024 and amended vide Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1523(E), dated 28th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.28 13:16:41 +05'30'